अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

87/2019| 223 RTA बीमा V/s शान्ति

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/87	
पेशी	श्री V.s. खंगारोत श्री	
14.8.25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट रस्पो. स. 1 से 14 के रजि. एडी. तामील आवश्यक रूप से पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी नोटिस रस्पो स. 1 से 14 रजि. एडी. दिनांक 11/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प बूंदी	
11.9.25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उप.। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी नोटिस रस्पो. स. 1 से 14 रजि. एडी. दिनांक 9.10.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प बूंदी	
9.10.25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उप.। अभिभाषक अपीलांट शेष रस्पो. के रजि. एडी. नोटिस आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी नोटिस रस्पो स. 1 से 14 रजि. एडी. दिनांक 27/11/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प बूंदी	
27/11/25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट उपस्थित नहीं। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को कई बार रुक-रुक कर आवाजे दिलाई गई किन्तु उपस्थित नहीं। अत: अपील अपीलांट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कैमल शुमार होकर नम्बरे से कम हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प बूंदी	

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,

अजमेर जिला अजमेर

अपील संख्या 27/2019

19/00087

1. घीसा पुत्र मोती जाति कुम्हार निवासी पातुड़ी तह.दूदू जिला जयपुर
2. मंगला पुत्र मोती जाति कुम्हार निवासी पातुड़ी तह.दूदू जिला जयपुर
3. नन्दा पुत्र कालू जाति कुम्हार निवासी पातुड़ी तह. दूदू जिला जयपुर
4. नाथू कालू जाति कुम्हार निवासी पातुड़ी तह. दूदू जिला जयपुर
5. गोपाल कालू जाति कुम्हार निवासी पातुड़ी तह. दूदू जिला जयपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. शान्ति देवी पति रामलाल जाति कुम्हार निवासी पातुड़ी तह.दूदू जिला जयपुर

.....रेस्पोडेन्ट

2. हनुमान
3. कल्याण
4. हीरालाल
5. जयराम

पुत्रान नोरत जाति कुम्हार निवासी पातुड़ी तहसील दूदू जिला जयपुर

6. तेजू
7. काना
8. लालूराम
9. मदन
10. सुरेश

पुत्रान गोरधन जाति कुम्हार निवासी पातुड़ी तहसील दूदू जिला जयपुर

11. रामचन्द्र पुत्र नारायण
12. श्योजी पुत्र कालू
13. भोलू पुत्र नारायण

समस्त जाति कुम्हार निवासी पातुडी तहसील दूदू जिला जयपुर

14. श्रीमान् तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर

.....प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट

Scanned with CamScanner

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय दूदू

दिनांक 31.10.2018 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 47/2015 उनवान शान्ति

बनाम हनुमान व अन्य

महोदयजी,

प्रकरण के संक्षेप तथ्य निम्नानुसार प्रस्तुत है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ल0 14 व अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खतौनी संख्या 135 के आराजी खसरा नम्बर 123, 125, 142, 143 कुल किता 04 कुल रकबा 5.67 हैक्टेयर व खतौनी संख्या 136 के आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 2.45 हैक्टैयर वाके ग्राम पातुली तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ल0 4 जमाबन्दी में दर्ज अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं लगान अदा करते आ रहे है उपरोक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आरार्जीयात है परन्तु मोके पर पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर लिये है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज काश्त है। वादीनी द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात जो 4 बीघा है मौके पर खसरा नम्बर 143 के उत्तरी दिशा व खसरा नम्बर 141 के मध्य में खसरा नम्बर 142 के लगवा काबिज है व इसी अनुसार पक्षकारान काबिज है और बंटवारा करवाने के अधिकारी है एवं दिनांक 26.5.2015 का वाद कारण उल्लेखित करते हुये वाद प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई जो कभी भी प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण को प्राप्त नहीं हुई , न ही प्रति पर तामिल हुई परन्तु माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुये दिनांक 31.10.2018 को वाद मनमाने तरीके से डिक्री कर दिया जिससे व्यथीत होकर अपीलार्थी अपील निम्नानुसार प्रस्तुत करता है।

1. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2018 न्याय नियम के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

Scanned with CamScanner